

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

वादी

प्रतिवादीगण

मदनलाल

बनाम

लक्ष्मी व अन्य

संख्या 212/24

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

क आज्ञा कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

2024

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री धारा सिंह गुर्जर द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि० नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 06/12/2024 को पेश हो।

1211  
22-11-24

उपखण्ड अधिकारी  
बस्सी

6/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जगर द्वारा  
इज्जत तालिम हेतु पत्रावली दिनांक  
8-1-25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/बस्सी जिला-जयपुर  
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य  
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक  
14/2/25 को पेश हो।

8/20

14/2/25

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/  
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य  
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक  
5/3/25 को पेश हो

5/3/25

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/  
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य  
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक  
21/4/25 को पेश हो

04/25

पत्रावली पेश। वकील पञ्जगर अनुपस्थित।  
बार-बार आवाज के बावजूद कोई धजिरे  
कादालत नहीं आये हैं। अतः दावा अदम  
हाजरी व अदम चैरवी में खारिज  
किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर से व्यक्त  
होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
बस्सी जिला-जयपुर